8. कार्ड को बनाने या उपयोग करने में कठिनाई आने पर, शिकायत कहाँ दर्ज करायें?

आर.एस.बी.वाई हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कर सकते हैं 18001808003, जो निःशुल्क है.

कार्ड के पंजीकरण विषय जानकारी या कठिनाई के लिए, अपने पंचायत से संपर्क करें.

राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना; हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा सोसायटी द्वारा संचालित है. हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा सोसायटी कार्यालय कसुमप्टी, शिमला में स्थित है. सोसायटी के सी.ई.ओ स्वास्थ्य बीमा सोसायटी के सचिव हैं. सोसायटी का फ़ोन नंबर 09418090439 है, और पता है:

हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा सोसायटी,
ब्लॉक नंबर 6, एस.डी.ए कॉम्पलैक्स ,
कसुमप्टी
शिमला - 171009
ई मेल - hpsbys@rediffmail.com
वेबसाइट - www.rsby.gov.in

9. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की सुविधाएं कहाँ प्राप्त कर सकते हैं?

अस्पताल जाते समय अपने साथ अपना राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड ले जायें, और कार्ड को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना मदद डेस्क पर दिखायें. यहां आपके कार्ड को कंप्यूटर में फ़ीड किया जायेगा. यदि कार्ड के उपयोग में कोई कठिनाई हो, तो आर.एस.बीवाई हेल्पलाइन से संपर्क करें. कार्ड की समाप्ति तिथि

तक आप कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, जो आपके कार्ड पर लिखा होता है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के शिमला जिले के लिए ईंडस अस्पताल एक निजी सूचीबद्ध अस्पताल है. शिमला जिले के लिए आर.एस.बी.वाई सुविधाएं निम्नलिखित सूचीबद्ध

क्र.सं.	अस्पताल के नाम
1.	डी.डी.यू जोनल अस्पताल, शिमला
2.	इंदिरा गांधी अस्पताल, शिमला
3.	कमला नेहरू अस्पताल, शिमला
4.	क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अस्पताल, शिमला
5.	सिविल अस्पताल, जूंगा
6.	सिविल अस्पताल, कोटगढ़
7.	महात्मा गांधी चिकित्सा सेवाएं कॉम्प्लैक्स, खनेरी (रामपुर)
8.	सिविल अस्पताल, थियोग
9.	सिविल अस्पताल, जूब्बल
10.	सिविल अस्पताल, चौपाल
11.	सिविल अस्पताल, रोहरू
12.	सिविल अस्पताल, नेरूआ
13.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटखाई
14.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चीरगांव
15.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुम्हारसैन
16.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नानखारी
17.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुन्नी
18.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कूप्वी
19.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
(आर.एस.बी.वाई)

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.एस.बी.वाई) क्या है?

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भारत सरकार द्वारा एक योजना है जो स्वास्थ्य देखभाल के लिए बीमा कवरेज प्रदान करती है. यह योजना *केवल* अस्पताल में भर्ती कराये जाने पर उपलब्ध है.

2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए कौन पात्र हैं?

कोई भी बी.पी.एल परिवार जिनके पास एक वैध आई.आर.डी.पी बी.पी.एल कार्ड / बी.पी.एल कार्ड है, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. पंचायत से एक पत्र यह बताते हुए कि आप एक बीपीएल परिवार से हैं भी पर्याप्त है.

3. आर.एस.बी.वाई स्मार्ट कार्ड क्या है?

इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को एक स्मार्ट कार्ड मिलता है (कार्ड प्लास्टिक का बना हुआ होता है), जिस पर परिवार के मुखिया का नाम होता है. पंजीकरण की तारीख से अगले एक साल तक कार्ड वैध होता है. इस कार्ड का इस्तेमाल अस्पताल में सेवाएं देने के लिए कीया जाता है और कार्ड से पैसे घटा लिए जाते हैं.

3. कंसल्टेंट्स फीस
4. निश्चेतक (एन्ज्थीज़िया) शुल्क
5. चिकित्सक की फीस
6. रक्त
7. आक्सीजन
8. ऑपरेशन थिएटर खर्च
9. दवाएँ
10.एक्स रे तथा अन्य जाँच खर्च
11.रोगी के लिए भोजन

इस योजना में मामूली सर्जरी जिसमें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं हैं उनको भी शामिल किया गया हैं; जिसमें सर्जरी के एक दिन के सभी खर्चे दिए जातें हैं. सर्जरी के बिना अस्पताल में भर्ती होने पर भी यह योजना लागू होती है.

दवाएँ, एक्स रे तथा अन्य जाँच खर्च; अस्पताल में भर्ती होने से एक दिन पहले और अस्पताल से छुट्टी होने के 5 दिनों बाद तक, शामिल है.

पैकेज में रु.100 तक का यात्रा खर्च (अस्पताल तक पहुँचने के लिए) भी शामिल है. किसी भी जटिलताओं (complications) के खर्चे भी पैकेज में शामिल है. क्रिटिकल केयर पैकेज में शामिल है जटिल इलाज जैसे दिल की सर्जरी, गुर्दे की सर्जरी इत्यादि.

इस योजना को बनाने का आशय यह है की अस्पताल में भर्ती होने पर निःशुल्क इलाज संभव हो सके.

दस्तावेजों (बी.पी.एल साबित करने के लिए) के साथ आना चाहिए. सभी सदस्यों को पंजीकरण के लिए उपस्थित होना चाहिए. परिवार के सभी सदस्यों की तस्वीरें तथा उँगलियों के निशान ली जातीं हैं. आपका कार्ड कब मिल जाएगा, इसकी जानकारी पंचायत या पंजीकरण डेस्क से लें. परिवार को, परिवार के मुखिया के नाम के साथ का कार्ड प्राप्त होना चाहिए. कार्ड की समाप्ति तिथि की जांच कर लें.

कृपया याद रखें पंजीकरण शुल्क केवल रुपये 30 है (और अधिक कुछ नहीं). कार्ड के उपयोग के लिए किसी भी अन्य पैसे का भुगतान नहीं करना होता.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड के बारे में:

- कार्ड सुरक्षित रखें
- कार्ड के साथ छेड़छाड़ ना करें.
- कार्ड में बदलाव करने के लिए संपर्क करें:

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.

ब्लॉक नंबर 7, एस.डी.ए कॉम्पलैक्स ,
कसुमप्टी
शिमला - 171009
फ़ोन नंबर: 2624394 0177, 2623184, 2622398

7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में कौनसी सुविधाएं शामिल हैं?

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल सुविधाएं है (जरूरत के अनुसार) :

1. सामान्य वार्ड के लिए बेड शुल्क
2. नर्सिंग और बोर्डिंग शुल्क

4. फिर, आर.एस.बी.वाई के तहत प्रदान की कवरेज क्या है?

हर परिवार, जिसके पास आर.एस.बी.वाई का कार्ड है, अस्पताल में भर्ती होने पर कवरेज पाने का हकदार है. सामान्य बीमारियों जैसे टायफ़ायड, मलेरिया, हेपेटाइटिस, तीव्र पथरी, तीव्र श्वसन संक्रमण, तीव्र अतिसारीय (दस्त), फ़ूड पॉइज़निंग इ. के लिए कवरेज की अधिकतम धनराशि रुपये 30000 तक की है. और गंभीर बीमारियों जैसे हृदय रोग, जीर्ण फेफड़े की बीमारियाँ, गंभीर चोटें (आंतरिक और बाह्य), गंभीर गुर्दे की बीमारियों, कैंसर, इ. के लिए कवरेज की अधिकतम धनराशि रुपये 175000 तक की है. यह राशियाँ हर परिवार के लिए एक वर्ष तक उपलब्ध है, जिसका इस्तेमाल अस्पताल में भाग या पूर्ण में किया जा सकता है.

5. एक कार्ड के अंतर्गत, परिवार के कितने सदस्यों को शामिल किया जा सकता है?

एक परिवार के 5 सदस्यों को एक कार्ड के अंतर्गत पंजीकृत किया जा सकता है. परिवार जिनमें 5 से अधिक सदस्य है, इस स्थिति में परिवार के मुखिया तय कर सकते हैं की किन सदस्यों को शामिल करना है. परिवार जिनमें 5 या 5 से कम सदस्य है, उनके सभी सदस्यों को शामिल किया जा सकता है.

6. आर.एस.बी.वाई कार्ड कहाँ बना सकते हैं?

वर्तमान में हिमाचल में कार्ड पंचायतों द्वारा बनाई जाती हैं. साल में एक दिन चयनित किया जाता है. उस दिन पंजीकरण किया जाता है. परिवार के सभी सदस्यों को उस दिन पंचायत में पंजीकरण के लिए आना चाहिए. इस दिन परिवार को सभी